

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ. एम. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का खीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० साहेब हुसेन, पि० जाति	श्रीमती नजमा खातुन (पत्नी)	220/24.7.17	ग्रा०-मलिकाना, पो०-पथरा, थार्०-मांझा, गोपालगंज	318637860 3	सेन्दल बैंक ऑफ इंडिया, मांझागढ़, CBIN0281708	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, सब्जी व्यवसाय
2	स्व० असफा साह, पि० जाति	श्रीमती रामकली देवी (पत्नी)	222/24.7.17	ग्रा०-मलिकाना, पो०-पथरा, थार्०-मांझा, गोपालगंज	393800010 1169836	पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, PUNB0393800	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, सब्जी व्यवसाय
3	स्व० विश्वनाथ चौधरी, पि० जाति	श्रीमती लालझरी कुर्वर (पत्नी)	224/27.7.17	ग्रा०-मधुसरेया, पो०-कोल्हुआँ, थार्०-मांझा, गोपालगंज	314021019 8	सेन्दल बैंक ऑफ इंडिया, मांझागढ़, CBIN0281708	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशु पालन
4	स्व० सिकन्दर मियाँ, श्री सदीक मियाँ, पि० जाति	श्रीमती मुन्नी खातुन (पत्नी)	474/11.11.17	ग्रा०+पो०-बरई पट्टी, थार्०-यादोपुर, प्र०+जि०-गोपालगंज	362239721 5	सेन्दल बैंक ऑफ इंडिया, गोपालगंज, CBIN0280037	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, सब्जी बेचने का कार्य

कुल :- ₹ 190000/-

(एक लाख नब्बे हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० स०-30/2015 के पृष्ठ-34/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से

h'

h

h

अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को उनके ज्ञापांक 220, 222, 224 दिनांक 24.7.17 एवं 474 दिनांक 11.11.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-30/2015-565

पटना, दिनांक :- 20-12-17

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।